(क) क्या यह सच है कि वर्तमान गन्ना पेराई मौसम के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना आपूर्ति बांड प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में अन्तर्ग्रस्त दोषी अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है व इन व्यक्तियों के नाम एवं पदनाम क्या-क्या हैं;

(ङ) आगामी वर्ष के लिए गन्ना आपूर्ति बांड प्रक्रिया को पारदर्शी एवं दुरुस्त बनाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) से (च) उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Interim Relief to Journalists

155. SHRI GOVINDRAM MIRI: will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government is amenable to journalists' demand for grant of interim relief to the tune of 50%;

(b) if so, whether Government is to announce the same by July end; and

(c) if not, reasons and justification therefor?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) to (c) The matter is under consideration of the Government and a final decision will be taken soon.

Unemployment among Handicapped Persons

156. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) the number of unemployed handicapped persons registered with various employment exchanges in the country State-wise particularly in the State of Punjab during the last three years;

(b) the number of such persons provided with employment during this period, State-wise; and

(c) the steps being taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) and (b) A statement prepared on the basis of the information furnished by Directorate General of Employment and Training is at Annexure-I *[See Appendix 178, Annexure No. 8]*

(c) Another Statement containing steps being taken by the Central Government to facilitate and promote employment of the handicapped is given in the Statement.

Statement

Steps taken by Central Government for employment of Handicapped persons

(i) Section 33 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights & Full Participation) Act, 1995 contains a provision that the appropriate Govt. shall appoint in every establishment not less than 3% of persons with Disability of which 1% each shall be reserved for persons suffering from:—

(a) blindness or low vision;

(b) hearing impairement; and

(c) Locomotor disability or cerebral palsy in the posts identified for each disability.

Some reservation in Group 'C' and 'D' for Handicapped Persons had already been there even before the Law came into force. Similar reservation have been given by some State Govts. In addition, the Handicapped are also given 'age concessions' in the upper age limit and relaxation in the 'medical standards' for entry into Government jobs.

(ii) 47 Special Employment Exchanges and 41 Special Cells in normal Employment Exchanges exist in different States/UTs to help exclusively the handicapped persons in finding placement. This is in addition to the help provided by the normal employment exchanges.

(iii) Seventeen Vocational Rehabilitation Centres have been set up to assess the residual ability of the disabled, arrange their training and place them in employment.

(iv) For promoting self-employment amongst handicapped persons, concessions have been provided to them in following matters:

(a) Allotment of vending stalls, kiosks & shops by same State Govts./UTs.

(b) Loans from Nationalised Banks at concessional Rates of interest.

(c) Preference on Allotment of public telephone booths.

(d) Reservation in distribution of Petrol Pumps, Kerosene Depots etc.

(v) National Handicapped Finance & Development Corporation is being set up to provide an additional change of finance at concessional rates to enable the handicapped persons to take up self-employment projects.

कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी

157. **श्री ईशदत्त यादव:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि मजदूरों को राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी है;

(ख) कृषि मजदूरों के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है; और

(ग) सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी की समुचित ढंग से लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) और (ख) कृषि श्रमिकों की संख्या और विभिन्न राज्य सरकारों संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों और केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत मजदूरी की न्यूनतम दरों से संबंधित उपलब्ध सूचना विवरण में संलग्न है **(नीचे देखिए)**

(ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत केन्द्रीय और राज्य सरकारें दोनों अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के अधीन अनुसूचित नियोजनों के संबंध में अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन और प्रवर्तन हेतु समुचित सरकारें हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सिक्किम राज्य, जहां इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है, को छोड़कर सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में लागू कर दिया गया है। केन्द्रीय सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्य में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की कारगरता में सुधार लाने हेतु विभिन्न उपाय करने के लिए कहती रहती है। इस संबंध में सुझाये गये उपायों में अधिनियम के प्रवर्तन, निरीक्षकों की संख्या बढ़ाने, रेडियो, प्रेस आदि जैसे विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा अधिनियम के उपबंधों को व्यापक प्रचार देने के लिए राजस्व, कृषि सहकारिता आदि अन्य विभागों के अधिकारियों की सेवाओं का प्रयोग करना शामिल है।

विवरण

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा नियत कृषि कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दैनिक दरें

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कृषि कर्मकारों की संख्या (हजारों में)	अकुशल कृषि कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी
1.	आन्ध्र प्रदेश	11625	30.00 रु० से 36.60 प्रतिदिन (क्षेत्रों के अनुसार) (12.2.96)